



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन नं. 0 755-2578801-2 Fax: ++91-755-2550498 Web :- www.esb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत

प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा - 2025

(मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की "प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा" वर्ष 2020 / 2024

में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अहं पाये गये अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे)

परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र		
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 18-07-2025	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 01-08-2025	
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 18-07-2025	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 06-08-2025	
संभावित परीक्षा दिनांक व दिन		31 अगस्त 2025, रविवार से प्रारंभ
मण्डल का परीक्षा शुल्क		
सीधी भरती के पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये	रु 500/- रु. 250/-
	केवल सीधी भरती - बैकलॉग पदों हेतु	कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।		

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

संभावित परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
31 अगस्त 2025, रविवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 08:30 से 10:00 बजे तक	प्रातः 10:20 से 10:30 बजे तक (10 मिनिट)	प्रातः 10:30 से 12:30 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोप. 01:00 से 02:30 बजे तक	दोप. 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनिट)	दोप. 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू.आई.डी.ए.आई.(UDA) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की द्वायाप्रति /आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय वायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वाँच एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- सभी अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्लाइट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कम्प्युटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी। आवेदक यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि नियमानुसार आवेदित पद हेतु निर्धारित जन्मतिथि, आयु सीमा, शैक्षणिक व अन्य समस्त अहंतार्दृश्यारूप व्यापक रूप से सुनिश्चित करता है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई किसी भी जानकारी का मिलान उसके मूल दस्तावेज/अभिलेख से नहीं होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने अथवा नियमानुसार नहीं होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-1 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को में पृथक-पृथक आवेदन प्रेपार्ट करना होगा। मण्डल को प्रेपार्ट आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन नं. 0 755-2578801-2 Fax: ++91-755-2550498 Web :- www.esb.mp.gov.in ई-मेल : E-Complain Id : Complain.esb@mp.gov.in

कार्यालय आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. यूसीआर/सी/09/2025/595, दिनांक 02/04/2025 एवं पत्र क्र. यूसीआर/सी/09/पा.शि.नियो./2025/1252, दिनांक 30/06/2025 तथा कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्र.शिक्षा.स्था.04/841/ 2025/9220, दिनांक 02/05/2025, पत्र क्र.शिक्षा.स्था.04/856/2025/12993, दिनांक 27/06/2025 एवं पत्र क्र.शि.स्था.03/ 2025/13895, दिनांक 09/07/2025 के अनुसार :-

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा - 2025

विषय-सूची

संख्या	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग - प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएँ	03 - 11
2.	2	मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग - प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएँ	12 - 22
3.	3	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के परीक्षा संचालन नियम	23 - 35
4.	4	पाठ्यक्रम	36 - 51
5.	प्रारूप-1	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे :- बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	52

अध्याय - 1

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग - विभागीय नियम

प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएँ

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक पद पर सीधी भरती एवं सीधी भरती-बैकलांग हेतु प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु आवेदन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भरती नियम, 2018 एवं समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के नियम 8 के उपनियम 5 के अनुसार चयन परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी:-

1. पद का विवरण- प्राथमिक शिक्षक

2. पद की श्रेणी- तृतीय श्रेणी

3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका - कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।

4. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता- भरती नियम 2018 एवं समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के नियम-8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा -

- पात्रता परीक्षा - कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित “प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024” में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाये गये अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

एवं

- प्राथमिक शिक्षक के भरती नियम, 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा :-

- (1) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा / विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष।

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा एन.सी.टी.ई. विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.)

अथवा

स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष।

नोट:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

5. अंकसूची/उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा।

6. आयु-सीमा

6.1 न्यूनतम आयु- 21 वर्ष

6.2 अधिकतम आयु - 01 जनवरी 2025 को :-

क्र.	आवेदक	अधिकतम आयु	अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	49
2-	मध्यप्रदेश की मूल/स्थानीय निवासी महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	54
3-	पुरुष/महिला (मध्यप्रदेश शासन के निगम, मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	-
4-	पुरुष/महिला (मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	54
5-	मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासी दिव्यांगजन आवेदकों के लिये	45	54

6.3 न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना- दिनांक 1.1.2025 के आधार पर की जावेगी। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासियों को ही देय होगी।

6.4 मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासी को ही कंडिका 6.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रं. 73/104/2022/आ.प्र./2021, दिनांक 02 फरवरी 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है।

6.5 उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, की आयु का निर्धारण म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भरती नियम, 2018 के नियम 8(घ) के अनुसार होगा। ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, वर्षते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

○ स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छः माह तक निरंतर सेवा में रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्यिता इकाई (यूनिट) की सिफारिश के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कटौती किये जाने के कारण जिसकी छठनी की गई हो अथवा जिसे अतिरिक्त घोषित किया गया हो-

(6.5.1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें कि समय से पूर्व निवृत्ति रियायतो (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(6.5.2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें-

- (क) अल्पकालीन वचनबंध की अवधि पूर्ण हो जाने पर,
- (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया हो।

(6.5.3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक

(6.5.4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पअवधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है जिन्हें उनकी संविदा के पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो,

(6.5.5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवा मुक्त कर दिया गया हो;

(6.5.6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गए भूतपूर्व सैनिक,

(6.5.7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं;

(6.5.8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो

6.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट

- 6.6.1 अनुसूचित जाति के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरुस्कार प्राप्त सर्वां पति/पति के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 6.6.2 विक्रम पुरुस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 6.7 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 22 फरवरी 2022 एवं इसमें संशोधन दिनांक 6-04-2023 से जारी निर्देशों के अनुसार
- 6.7.1 हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपांग हुए सैनिकों को
- 6.7.2 हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को
- 6.7.3 भूतपूर्व सैनिकों(Demobilised Defense forces Personnel- Ex Servicemen- other ranks) को
- 6.7.4 निवाचित के अतिशेष कर्मचारी
- 6.7.5 अतिशेष कर्मचारियों को
- 6.7.6 जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी
- 6.7.7 कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को
- 6.7.8 राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र
- 6.7.9 बर्मा एवं सिलौन से आये हुए भारतीय नागरिकों को
- 6.7.10 राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्षन राईटर्स

उक्त उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है, तथा इन वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

टीप- यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है (अतिथि शिक्षकों को छोड़कर), तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी (कंडिका 6.7 को छोड़कर) तथा अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. आरक्षण :-

- 7.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक-एफ-6-1/2002/आ.प्र./दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किये गये हैं। प्राथमिक शिक्षक का पद जिला केंद्र का होने से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिला रोस्टर के आधार पर पदों की गणना कर कुल पद प्रदर्शित किये गए हैं।
- 7.2 रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिये निम्नानुसार शैतिजिक आरक्षण है:-
- (एक) मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिये 50% परन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- (दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10% पद प्रवर्गवार हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षित होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग की पात्रताधारी महिला/पुरुष अभ्यर्थी से यथास्थिति भरा जायेगा।
- (तीन) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भरती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है।

परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जायेंगे, जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो तथा तीनों सत्रों का न्यूनतम अध्यापन अनुभव 200 दिवस होगा।

- महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी, तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये पद ओपन गैर अतिथि से भरे जायेंगे।
- पूर्व भर्तियों में जिन अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन अभ्यर्थियों को पुनः अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त शासकीय सेवा में नियोजित व्यक्ति को अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।

7.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है-

- i. दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।
- ii. बहरे और कम सुनने वाले।
- iii. लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मसकुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।
- iv. वहु विकलांगता उपरोक्तानुसार (i) से (iii) को सम्मिलित करते हुये।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% स्थाई दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्थाई निश्चितता का प्रमाणीकरण करना होगा एवं भूतपूर्व सैनिक की दशा में प्रमाण-पत्र का सत्यापन निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश से कराया जायेगा)

दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/अ.प्र./1, दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है, उन्हें 40 प्रतिशत अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी/ मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं वैध स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

7.4 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 (ख) आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दितिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है, और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भरती प्रक्रिया को अपनाएं बिना उच्च पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस नियम के तहत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा निर्धारित अंकों के साथ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 / 2024 पास की है, एवं प्राथमिक शिक्षक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करते हों, वे संबंधित विभाग (आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल) के भरती कक्ष में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। इनके चयन का आधार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 / 2024 में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा।

उक्तानुसार चयन किये गये उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विज्ञापित पदों में समायोजित की जावेगी।

7.5 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार संविदा कर्मी के आरक्षण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सक्षम स्तर से छूट प्राप्त की गई है। अतः संविदा कर्मचारियों के लिए पृथक से आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

7.6 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 के पालनार्थ विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता संबंधी तालिका में अंकित अभ्यर्थियों के लिए उन्हें प्राप्त अंकों के 5 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे।

7.7 विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षकों के पद भी सम्मिलित हैं। आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5 प्रतिशत अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जायेंगे। इन अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयनित होने पर विशेष शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जायेगा। विशेष शिक्षकों के पदों की पूर्ति न होने पर इन पदों की पूर्ति हेतु पृथक से विशेष विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों से पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

7.8 बोनस अंक से संबंधित जानकारी व अभिलेख सही नहीं होने अथवा किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी/तथ्य प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा या आपत्ति स्वीकार्य नहीं की जायेगी।

7.9 चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय सम्बंधित अभ्यर्थी के पास म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

8. परिवीक्षा एवं वेतन:-

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भरती नियम 2018 एवं समय-समय यथासंशोधित नियमों तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

पद का विवरण	वेतन
प्राथमिक शिक्षक	न्यूनतम वेतन रूपये 25300 + मंहगाई भत्ता परिवीक्षा अवधि में भरती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा।

9. शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गावार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा :-

पदनाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग व्यक्ति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
प्राथमिक शिक्षक	40%	50%

10. प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जावेगी। अतः परीक्षा के लिए बुलाये जाने का आशय यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी (Candidature) अंतिम रूप से मान्य कर ली गयी है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी।

11. चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञापित पद की संख्या के अनुरूप मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र एवं अभिलेख बुलाये जायेंगे। जांच उपरांत यदि उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पद अनुरूप नहीं पायी गई या कोई अभिलेख गलत पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। जिन उम्मीदवारों के अभिलेख एवं प्रमाण पत्र विज्ञापन अनुसार सही पाये जायेंगे उनका पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। इस हेतु शपथ पत्र देना होगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवार को जिला मेडीकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12. स्पष्टीकरण -

12.1 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हता धारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जा सकेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया चयन परीक्षा के विज्ञापन से प्रारंभ होती है अर्थात् चयन परीक्षा की नियमपुस्तिका में उल्लेखित नियमों/प्रावधानों के अनुसार ही भरती/चयन की कार्यवाही की जायेगी।

12.2 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं 2024 में अर्ह अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने की अर्हता/पात्रता होगी।

12.3 हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिटक्रम में चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर पदस्थ किया जा सकेगा।

12.4 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु - अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 / 2024 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ मान्य किया जायेगा, जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या 2024 में न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 / 2024 में न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी।

12.5 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जायेगा, जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक (90 या अधिक अंक) प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो साथ ही चयन परीक्षा में भी 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों।

12.6 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। चयन परीक्षा हेतु विज्ञापन में उल्लेखित प्रवर्गावार रिक्तियों पर ही मेरिटक्रम से नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्ते पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

12.7 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता एवं वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य है। इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होंगे।

13/ निरर्हताएः:-

- 1) यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो।
 - 2) यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है।
 - 3) कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक, अधमता, अन्तर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
 - 4) यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और उसी अभ्यर्थी की दशा में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है।
 - 5) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो।
 - 6) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।
 - 7) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।
 - 8) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
 - 9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएँ अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।
14. अधिनियम/ नियम/ निर्देश/ विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/ नियम/ अधिसूचना/ निर्देश ही मान्य होंगे।
15. रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी, रिक्तियों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी :-

स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियाँ
10150

16. आवेदन शुल्क -आवेदन शुल्क का विनिश्चय बोर्ड की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा।

17. योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया-

- 17.1 यह प्रक्रिया विभाग के विहित प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें चयन परीक्षा में प्राप्त परसेंटेइल के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की एकीकृत रैंक जारी की जायेगी। अधिकतम परसेंटेइल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये जायेंगे। समान परसेंटेइल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह-वरिष्ठता पहले अनुपातिक अंक, फिर आयु (जन्मतिथि) के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- 17.2 प्रमाण पत्रों का सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया।

- कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मेरिट सूची प्रकाशित होने तक आवेदकों के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जावेगा। यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापित पद के लिए समस्त अर्हतायें पूर्ण करता है। मेरिट सूची जारी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या के समरूप उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा मूल दस्तावेज की जांच हेतु बुलाया जावेगा, यदि जांच में यह पाया जाता है कि आवेदक विज्ञापन अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वयमेव ही निरस्त मानी जाएगी। अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाये गये आवेदक अपने पद से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों एवं उसकी सत्यापित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा।
- प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से आयोजित होने के कारण अभ्यर्थी को आवेदन करते समय विभाग का चयन करना होगा। मेरिट कम प्रिफेरेंस के आधार पर विभाग वार सूची तैयार होगी, जिस विभाग में अभ्यर्थी का चयन होगा उसे उसी विभाग के लिए मान्य किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक ही विभाग का चयन करता है और उसे मेरिट क्रम में वह विभाग आवंटित नहीं होता है तो वह नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षक के पद जिला संघर्ग के हैं। अतः मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से सर्वप्रथम प्राथमिकता के क्रम में जिलों का चयन करवाया जायेगा, तदोपरांत दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों के आधार पर प्रवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार जिला स्तरीय चयन सूची जारी की जायेगी। विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार जिला का चयन/आवंटन परिवर्तनशील रहेगा।
- अपात्र / अनुपस्थित उम्मीदवारों के स्थान पर शेष पात्र अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम में उम्मीदवारों के चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण के लिये बुलाया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी पात्र अभ्यर्थियों की एकीकृत मेरिट रैंक भी जारी की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो नवीन सीधी भरती एवं सीधी भरती-बैकलॉग दोनों प्रकार के पदों हेतु आवेदन करते हैं, उन्हें चयन परीक्षा में प्राप्त परसेंटेइल के आधार पर पहले सीधी भरती (नवीन) पदों की मेरिट में स्थान प्राप्त होगा, तदोपरांत सीधी भरती-बैकलॉग के पदों की मेरिट में सम्मिलित किया जायेगा।
- प्रवर्गवार प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित वैध प्रमाण पत्र एवं अर्हता से संबंधित अन्य वांछित प्रमाण पत्र का सत्यापन उपरांत ही उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
- प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का आवेदन करते समय अभ्यर्थी द्वारा जिस विद्यालय /संस्था से शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता अर्जित करना अंकित किया है उसी विद्यालय /संस्था की अंक सूची के आधार पर ही अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएँ

सीधी भर्ती – बैकलॉग पद – प्राथमिक शिक्षक (अतिथि शिक्षक प्रवर्ग) कुल पद -798

पद कोड 03

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	निशक्तजनों की कुल 48 रिक्तियों में LD-12,MD-12,VH-12 एवं EH-12 के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन की उपलब्ध रिक्तियों में समाहित है।
2	ई. डब्ल्यू. एस. (EWS)	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	0	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	365	364	35	34	798	
5	अन्य विषेश वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	
	योग	365	364	35	34	798	

सीधी भर्ती – बैकलॉग पद – प्राथमिक शिक्षक (गैरअतिथि शिक्षक प्रवर्ग) कुल पद -852

पद कोड 04

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	निशक्तजनों की कुल 51 रिक्तियों में LD-13,MD-12,VH-13 एवं EH-13 के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन की उपलब्ध रिक्तियों में समाहित है।
2	ई. डब्ल्यू. एस. (EWS)	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	0	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	381	375	51	45	852	
5	अन्य विषेश वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	
	योग	381	375	51	45	852	

नोट – (1) प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का है, अतः जिलेवार रिक्तियों के आधार पर जिला रोस्टर अनुसार आरक्षण प्रदान किया गया है। महिला आरक्षण, अतिथि आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग आरक्षण की गणना जिलेवार रिक्तियों के आधार पर की गयी है। जिलावार, प्रवर्गवार रिक्तियों का योग उक्त तालिका में दर्शाया गया है।

(2) उक्त पदों में प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान) के पद भी सम्मिलित हैं। मेरिट क्रम में चयनित अभ्यर्थियों में से हायर सेकन्डरी परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान) के पद पर पदस्थि किया जा सकेगा।

(3) RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी एल एड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को विशेष शिक्षक के पद पर पदस्थि किया जा सकेगा।



अपर संचालक
(गृ. सी. आर.)

अध्याय - 2

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग - विभागीय नियम

"प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025" (प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद) हेतु
विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएँ

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक-विज्ञान के पदों पर सीधी भरती/ सीधी भरती-बैकलॉग के लिए "प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025" हेतु आवेदन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भरती) नियम, 2018 एवं समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के नियम 5 के अनुसार चयन परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी:-

1. पद का विवरण- प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान
2. पद की श्रेणी- तृतीय श्रेणी
3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका - कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं जनजातीय कार्य विभाग के निर्देशानुसार होगा ।
4. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता- मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भरती) नियम, 2018 एवं समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के नियम-8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा -
 - पात्रता परीक्षा - कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित "प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024" में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाये गये अभ्यर्थी ही "प्राथमिक शिक्षक" एवं "प्राथमिक शिक्षक विज्ञान" पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

एवं

- प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के भरती नियम, 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा :-

(1) प्राथमिक शिक्षक हेतु

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष ।

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा एन.सी.टी.ई. विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा ।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा ।

अथवा

स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष ।

नोट:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(2) प्राथमिक शिक्षक-विज्ञान हेतु

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी- विज्ञान संकाय के साथ या समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा/विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) आवश्यक होगा ।

नोट:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

5. अंकसूची/उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा।

6. आयु-सीमा

6.1 न्यूनतम आयु- 21 वर्ष

6.2 अधिकतम आयु - 01 जनवरी 2025 को :-

क्र.	आवेदक	अधिकतम आयु	अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	49
2-	मध्यप्रदेश की मूल/स्थानीय निवासी महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	54
3-	पुरुष/महिला (मध्यप्रदेश शासन के निगम, मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	-
4-	पुरुष/महिला (मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	54
5-	मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासी दिव्यांगजन आवेदकों के लिये	45	54

6.3 न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना- दिनांक 1.1.2025 के आधार पर की जावेगी। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासियों को ही देय होगी।

6.4 मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासी को ही कंडिका 6.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. 73/104/2022/आ.प्र./2021, दिनांक 02 फरवरी 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है।

6.5 उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, की आयु का निर्धारण मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भरती) नियम, 2018 के नियम 8 (घ) के अनुसार होगा । ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छः माह तक निरंतर सेवा में रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्यिता इकाई (यूनिट) की सिफारिश के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कटौती किये जाने के कारण जिसकी छठनी की गई हो अथवा जिसे अतिरिक्त घोषित किया गया हो-

(6.5.1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें कि समय से पूर्व निवृत्ति रियायतो (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(6.5.2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें-

- (क) अल्पकालीन वचनबंध की अवधि पूर्ण हो जाने पर;
- (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो ।

(6.5.3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(6.5.4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पअवधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो;

(6.5.5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवा मुक्त कर दिया गया हो;

(6.5.6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गए भूतपूर्व सैनिक;

(6.5.7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं;

(6.5.8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो;

6.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट

6.6.1 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरुस्कार प्राप्त सर्वर्ण पति/पत्रि के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

6.6.2 “विक्रम पुरुस्कार” प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार छूट प्राप्त होगी।

6.7 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 22 फ़रवरी 2022 एवं इसमें संशोधन दिनांक 6-04-2023 से जारी निर्देशों के अनुसार

6.7.1 हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को

6.7.2 हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को

6.7.3 भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defense forces Personnel- Ex Servicemen- other ranks) को

6.7.4 निवाचन के अतिशेष कर्मचारी

6.7.5 अतिशेष कर्मचारियों को

6.7.6 जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी

6.7.7 कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को

6.7.8 राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र

6.7.9 बर्मा एवं सिलौन से आये हुए भारतीय नागरिकों को

6.7.10 राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स

उक्त उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है, तथा इन वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाएंगे।

टीप- यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है (अतिथि शिक्षकों को छोड़कर), तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी (केंद्रिका 6.7 को छोड़कर) तथा अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. आरक्षण :-

7.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक-एफ-6-1/2002/आ.प्र./दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किये गये हैं। प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का पद जिला केडर का होने से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिला रोस्टर के आधार पर पदों की गणना कर कुल पद प्रदर्शित किये गए हैं।

7.2 रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिये निम्नानुसार शैक्षिक आरक्षण है:-

(एक) मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिये 50% परन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10% पद प्रवर्गवार हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षित होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग की पात्रताधारी महिला/पुरुष अभ्यर्थी से यथास्थिति भरा जाएगा।

(तीन) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भरती के शिक्षकों के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिये आरक्षित होंगी, जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो।

परन्तु अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, रिक्त रहे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे, जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस होगा।

- महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी, तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये पद ओपन गैर अतिथि से भरे जाएंगे।
- पूर्व भर्तियों में जिन अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन अभ्यर्थियों को पुनः अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त शासकीय सेवा में नियोजित व्यक्ति को अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।

7.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है-

- i. दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।
- ii. बहरे और कम सुनने वाले।
- iii. लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मसकुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।
- iv. वहु विकलांगता उपरोक्तानुसार (i) से (iii) को सम्मिलित करते हुये।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% स्थाई दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्थाई निश्चितता का प्रमाणीकरण करना होगा एवं भूतपूर्व सैनिक की दशा में प्रमाण-पत्र का सत्यापन निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश से कराया जायेगा)

दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/अ.प्र./1, दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है, उन्हें 40 प्रतिशत अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी/मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं वैध स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

नोट :- सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राजपत्र दिनांक 26 फरवरी 2024 की अनुसूची अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का कार्य रसायन एवं उपकरणों से संबंधित होने से दृष्टिबाधित और कमदृष्टि वाले (VH) श्रेणी के पदों को दिव्यांगजनों हेतु अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

7.4 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 (ख) आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है, और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भरती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस नियम के तहत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा निर्धारित अंकों के साथ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020/2024 पास की है, एवं प्राथमिक शिक्षक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करते हों, वे संबंधित विभाग (आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल तथा आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, 59 आदि भवन, पर्यावास भवन के सामने, अरेरा हिल्स, भोपाल) के भरती कक्ष में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। इनके चयन का आधार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020/2024 में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा।

उक्तानुसार चयन किये गये उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विज्ञापित पदों में समायोजित की जाएगी।

7.5 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार संविदा कर्मी के आरक्षण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सक्षम स्तर से छूट प्राप्त की गई है। अतः संविदा कर्मचारियों के लिए पृथक से आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

7.6 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 के पालनार्थ विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता संबंधी तालिका में अंकित अभ्यर्थियों के लिए उन्हें प्राप्त अंकों के 5 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे।

7.7 विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षकों के पद भी सम्मिलित हैं। आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5 प्रतिशत अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जायेंगे। इन अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयनित होने पर विशेष शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जायेगा। विशेष शिक्षकों के पदों की पूर्ति न होने पर इन पदों की पूर्ति हेतु पृथक से विशेष विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों से पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

- 7.8 बोनस अंक से संबंधित जानकारी व अभिलेख सही नहीं होने अथवा किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी/तथ्य प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा या आपत्ति स्वीकार्य नहीं की जाएगी।
- 7.9 चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय सम्बंधित अभ्यर्थी के पास म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

8. परिवीक्षा एवं वेतन:-

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भरती) नियम, 2018 एवं समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

पद का विवरण	वेतन
प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	न्यूनतम वेतन रूपये 25300 + मंहगाई भत्ता परिवीक्षा अवधि में भरती नियम 2018 के उपनियम 14 के अनुसार वेतन देय होगा।

9. शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा :-

पदनाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग व्यक्ति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	40%	50%

10. प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी। अतः परीक्षा के लिए बुलाये जाने का आशय यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी (Candidature) अंतिम रूप से मान्य कर ली गयी है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी।

11. चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञापित पद की संख्या के अनुरूप मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र एवं अभिलेख बुलाये जाएंगे। जांच उपरांत यदि उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पद अनुरूप नहीं पायी गई या कोई अभिलेख गलत पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों के अभिलेख एवं प्रमाण पत्र विज्ञापन अनुसार सही पाये जायेंगे उनका पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा, इस हेतु शपथ पत्र देना होगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12. स्पष्टीकरण -

12.1 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हता धारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जा सकेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया चयन परीक्षा के विज्ञापन से प्रारंभ होती है अर्थात् चयन परीक्षा की नियमपुस्तिका में उल्लेखित नियमों/प्रावधानों के अनुसार ही भरती/चयन की कार्यवाही की जायेगी।

12.2 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं 2024 में अर्ह अभ्यर्थियों को ही "प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025" में सम्मिलित होने की अर्हता/पात्रता होगी।

12.3 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु - अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020/2024 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा, जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या 2024 में न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020/2024 में न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी।

12.4 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जायेगा, जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक (90 या इससे अधिक अंक) प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो साथ ही चयन परीक्षा में भी 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों।

12.5 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। चयन परीक्षा हेतु विज्ञापन में उल्लेखित प्रवर्गवार रिक्तियों पर ही मेरिटक्रम से नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।

12.6 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु अॅनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता एवं वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य है। इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होंगे।

13. निरहताएँ:-

- 1) यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो।
 - 2) यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है।
 - 3) कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक, अधमता, अन्तर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
 - 4) यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और उसी अभ्यर्थी की दशा में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है।
 - 5) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो।
 - 6) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।
 - 7) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरहता माना जा सकेगा।
 - 8) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
 - 9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरहताएँ अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।
14. अधिनियम/ नियम/ निर्देश/ विभिन्न अधिमूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/ नियम/ अधिमूचना/ निर्देश ही मान्य होंगे।
15. रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी, रिक्तियों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी :-

क्रमांक	पदनाम	सीधी भरती-बैकलॉग के पदों की संख्या	सीधी भरती के पदों की संख्या	कुल रिक्तियां
1	प्राथमिक शिक्षक	1523 (अनुसूचित जनजाति ST संवर्ग हेतु)	-	1523
2	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	1087	329	1416
योग :-				2939

16. आवेदन शुल्क -आवेदन शुल्क का विनिश्चय बोर्ड की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा।
 17. योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया-
- 17.1 यह प्रक्रिया विभाग के विहित प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें चयन परीक्षा में प्राप्त परसेंटेइल के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की एकीकृत रैंक जारी की जायेगी। अधिकतम परसेंटेइल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये जायेंगे। समान परसेंटेइल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह-वरिष्ठता पहले अनुपातिक अंक, फिर आयु (जन्मतिथि) के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

17.2 प्रमाण पत्रों का सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया।

- कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मेरिट सूची प्रकाशित होने तक आवेदकों के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाएगा। यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापित पद के लिए समस्त अर्हतायें पूर्ण करता है। मेरिट सूची जारी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या के समरूप उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा मूल दस्तावेज की जांच हेतु बुलाया जाएगा, यदि जांच में यह पाया जाता है कि आवेदक विज्ञापन अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वयमेव ही निरस्त मानी जाएगी। अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाये गये आवेदक अपने पद से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों एवं उसकी सत्यापित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा।
- प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से आयोजित होने के कारण अभ्यर्थी को आवेदन करते समय विभाग का चयन करना होगा। मेरिट क्रम प्रिफेरेंस के आधार पर विभाग वार सूची तैयार होगी, जिस विभाग में अभ्यर्थी का चयन होगा उसे उसी विभाग के लिए मान्य किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक ही विभाग का चयन करता है और उसे मेरिट क्रम में वह विभाग आवंटित नहीं होता है तो वह नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद जिला संवर्ग के हैं। अतः मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से सर्वप्रथम प्राथमिकता के क्रम में जिलों का चयन करवाया जायेगा, तदोपरांत दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों के आधार पर प्रवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार जिला स्तरीय चयन सूची जारी की जायेगी। विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार जिला का चयन/आवंटन परिवर्तनशील रहेगा।
- अपात्र / अनुपस्थित उम्मीदवारों के स्थान पर शेष पात्र अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम में उम्मीदवारों के चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण के लिये बुलाया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी पात्र अभ्यर्थियों की एकीकृत मेरिट रैंक भी जारी की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो नवीन सीधी भरती एवं सीधी भरती-बैकलॉग दोनों प्रकार के पदों हेतु आवेदन करते हैं, उन्हें चयन परीक्षा में प्राप्त परसेटाइल के आधार पर पहले सीधी भरती (नवीन) पदों की मेरिट में स्थान प्राप्त होगा, तदोपरांत सीधी भरती-बैकलॉग के पदों की मेरिट में सम्मिलित किया जाएगा।
- प्रवर्गवार प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित वैध प्रमाण पत्र एवं अर्हता से संबंधित अन्य वांछित प्रमाण पत्र का सत्यापन उपरांत ही उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
- प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का आवेदन करते समय अभ्यर्थी द्वारा जिस विद्यालय /संस्था से शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता अर्जित करना अंकित किया है उसी विद्यालय /संस्था की अंक सूची के आधार पर ही अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका

पद का नाम - प्राथमिक शिक्षक विज्ञान - सीधी भरती-बैकलॉग (अतिथि शिक्षक प्रवर्ग) - पद कोड 05

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राजपत्र दिनांक 26 फरवरी 2024 की अनुसूची अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का कार्य रसायन एवं उपकरणों से संबंधित होने से दृष्टिबाधित और कमदृष्टि वाले (VH) श्रेणी के पदों को दिव्यांगजनों हेतु अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है। EH 17 LD 18 एवं MD 17 निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	ई.डब्लू.एस.	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जाति (SC)	26	26	3	3	58	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	183	183	20	20	406	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	36	35	4	4	79	
	योग	245	244	27	27	543	

पद का नाम - प्राथमिक शिक्षक विज्ञान - सीधी भरती-बैकलॉग (गैर-अतिथि शिक्षक प्रवर्ग) - पद कोड 06

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राजपत्र दिनांक 26 फरवरी 2024 की अनुसूची अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का कार्य रसायन एवं उपकरणों से संबंधित होने से दृष्टिबाधित और कमदृष्टि वाले (VH) श्रेणी के पदों को दिव्यांगजनों हेतु अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है। EH 17 LD 18 एवं MD 17 निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	ई.डब्लू.एस.	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जाति (SC)	27	26	3	3	59	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	183	183	20	20	406	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	36	35	4	4	79	
	योग	246	244	27	27	544	

पद का नाम - प्राथमिक शिक्षक विज्ञान - सीधी भरती (अतिथि शिक्षक प्रवर्ग) - पद कोड 07

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारक्षित (UR)	18	18	2	2	40	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राजपत्र दिनांक 26 फरवरी 2024 की अनुसूची अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का कार्य रसायन एवं उपकरणों से संबंधित होने से दृष्टिबाधित और कमदृष्टि वाले (VH) श्रेणी के पदों को दिव्यांगजनों हेतु अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है। EH 5 LD 5 एवं MD 5 निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की विना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	ई.डब्ल्यू.एस.	4	4	1	0	9	
3	अनुसूचित जाति (SC)	5	5	1	1	12	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	36	36	4	4	80	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	9	2	2	23	
	योग	73	72	10	9	164	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87% प्रतिशत पदों की आरक्षण तालिका

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारक्षित (UR)	18	18	2	2	40	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राजपत्र दिनांक 26 फरवरी 2024 की अनुसूची अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का कार्य रसायन एवं उपकरणों से संबंधित होने से दृष्टिबाधित और कमदृष्टि वाले (VH) श्रेणी के पदों को दिव्यांगजनों हेतु अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है। EH 5 LD 5 एवं MD 5 निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की विना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	ई.डब्ल्यू.एस.	4	4	1	0	9	
3	अनुसूचित जाति (SC)	5	5	1	1	12	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	36	36	4	4	80	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	5	5	1	1	12	
	योग	68	68	9	8	153	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 13% प्रतिशत आरक्षण के अनुसार प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारक्षित (UR)	5	4	1	1	11	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	5	4	1	1	11	

पद का नाम - प्राथमिक शिक्षक विज्ञान - सीधी भरती (गैर-अतिथि शिक्षक प्रवर्ग) - पद कोड 08

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारक्षित (UR)	18	18	2	2	40	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राजपत्र दिनांक 26 फरवरी 2024 की अनुसूची अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का कार्य रसायन एवं उपकरणों से संबंधित होने से दृष्टिबाधित और कमदृष्टि वाले (VH) श्रेणी के पदों को दिव्यांगजनों हेतु अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है। EH 5 LD 6 एवं MD 5 निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	ई.डब्लू.एस.	4	4	1	0	9	
3	अनुसूचित जाति (SC)	6	5	1	1	13	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	36	36	4	4	80	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	9	2	2	23	
	योग	74	72	10	9	165	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87% प्रतिशत पदों की आरक्षण तालिका

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारक्षित (UR)	18	18	2	2	40	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राजपत्र दिनांक 26 फरवरी 2024 की अनुसूची अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का कार्य रसायन एवं उपकरणों से संबंधित होने से दृष्टिबाधित और कमदृष्टि वाले (VH) श्रेणी के पदों को दिव्यांगजनों हेतु अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है। EH 5 LD 6 एवं MD 5 निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	ई.डब्लू.एस.	4	4	1	0	9	
3	अनुसूचित जाति (SC)	6	5	1	1	13	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	36	36	4	4	80	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	5	5	1	1	12	
	योग	69	68	9	8	154	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 13% प्रतिशत आरक्षण के अनुसार प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारक्षित (UR)	5	4	1	1	11	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	5	4	1	1	11	

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती भैकलॉग के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका

पद कोड 09

पद का नाम - प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती (अतिथि शिक्षक प्रवर्ग)

श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
2	3	4	5	6	7	8
अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	
ई.डब्ल्यू.एस.	0	0	0	0	0	
अनुसन्धित जाति (SC)	0	0	0	0	0	
अनुसन्धित जनजाति (ST)	342	343	38	38	761	
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	
योग	342	343	38	38	761	

पद कोड 10

पद का नाम - प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती (पैर-अतिथि शिक्षक प्रवर्ग)

श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
2	3	4	5	6	7	8
1 अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	
2 ई.डब्ल्यू.एस.	0	0	0	0	0	
3 अनुसन्धित जाति (SC)	0	0	0	0	0	
4 अनुसन्धित जनजाति (ST)	343	343	38	38	762	
5 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	
योग	343	343	38	38	762	

आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग

मध्यप्रदेश

अध्याय - 3

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभौति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भरती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढ़ाये/विलोपित किए जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं पदों के विकल्प/प्राथमिकताक्रम के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) समूह परीक्षा में विज्ञापित किए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प/प्राथमिकताक्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जायेगा, जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकताक्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है।
- (v) ऐसी पद तालिका, जिनमें Category/X/Open में पद विज्ञापित नहीं है। परन्तु प्रवर्ग यथा भूतपूर्व सैनिक, संविदाकर्मी में पद विज्ञापित है, ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।
- 3.2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के विकल्प चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये पदों की योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भरती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) आवेदक द्वारा छव्वी रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई-आधार मान्य नहीं है।

- 3.4** परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Digital Watch, Sun glasses and whitener, इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं मण्डल के आदेश क्रमांक पीईबी/प-1/712/2020, भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए नियमानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) दिव्यांग तथा सेरिब्रल पल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएविलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी । किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा के लिए अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित मण्डल कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी, ताकि मण्डल स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी ।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे नियमानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :- यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा ।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा, साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

- (i) वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
- (ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

- (A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

 - (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
 - (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 - (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
 - (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 - (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 - (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

- (B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।
- (C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा, ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. मण्डल/5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3-8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन वहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मण्डल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

(a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \leq X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- **shifts** be denoted as S₁, S₂, ..., S_K.
- number of **candidates** appearing in each shift be denoted by N₁, N₂, ... N_K
- X_{ij} be the **actual/proportionate marks** of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- P_{ij} be the **percentile score** of candidate X_{ij}, where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाइ कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

(b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 Step 1: Compute the percentile score P_{ij} of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 Step 2: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}(\text{NORMSINV}\left(\frac{P_{ij}}{100} - 0.005\right), 6)$$

where,

- Z_{ij} = Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 Step 3: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij} = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 Step 4: Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score (T_{ij}) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मण्डल की वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रूपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार मण्डल द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में :-

- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नक्ल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
- प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
- नक्ल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना।
- ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
- परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डाटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
- परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यू.एफ.एम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पुथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

- 1- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यू.एफ.एम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 2- विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली प्रावीण्य सूची मण्डल की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में मण्डल परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र.मण्डल/2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित यथाआवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा :-

- (i) अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि ।
- (ii) आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के जाति/श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- (v) अतिथि शिक्षकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (vi) प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य)।
- (vii) आवेदन-पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण (टेक्स्ट) लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

"मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप/फार्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के कैपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर – हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा :-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रूटि सुधार के लिखित आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक/आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में मण्डल द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) केवल सीधी भरती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **ESB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर

jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए ईमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-
- (अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंकों के)
- (ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार विन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- (ix) ऐसे आवेदक, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र भर लिया है, लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित संशोधन अवधि में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

3.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्र. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.29 पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.30 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया :-

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्र. 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012, परिपत्र क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 06/06/2018 एवं परिपत्र क्र. एफ-7-22/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 30/05/2019 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
- (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

- (iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।
- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के विज्ञापित पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- (vii) आवेदन-पत्र की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात बैगा, सहायरिया/सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID “complaint.esb@mp.gov.in” पर भेज सकते हैं ।

खण्ड-स

3.33 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
18-07-2025	01-08-2025	15	18-07-2025	06-08-2025	20

3.34 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाती	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	31-08-2025 से प्रारंभ	02 घंटे	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	100
2	द्वितीय			दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से चयन/काला करना होगा।

3.35 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडल्यूएस/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भरती बैंकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.36 परीक्षा शहर :-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित संभावित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

आनलाईन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर					
1. अनूपपुर	2. भोपाल	3. इन्दौर	4. जबलपुर	5. खण्डवा	6. नीमच
7. रतलाम	8. रीवा	9. सागर	10. सतना	11. सीधी	12. उज्जैन

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.37

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 - (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
 - (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
 - (iv) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
 - (v) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 - (vi) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
 - (vii) नियमपुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
 - (viii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
 - (ix) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिंटआउट यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा।
-

प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 हेतु

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

भाग	विषयवस्तु (सभी अनिवार्य)	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1	हिन्दी भाषा (Hindi Language)	15	15
2	अंग्रेजी भाषा (English Language)	15	15
3	गणित (Mathematics)	20	20
4	विज्ञान (Science)	30	30
5	सामाजिक विज्ञान (Social Science)	20	20
	कुल	100	100

विषय -हिन्दी

सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अन्तर्निहित अवधारणाओं /संकल्पनाओं की (कक्षा बारह स्तर की)गहन समझ का आकलन किया जाएगा ।

इकाई-1

अपठित गद्यांश - व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध (तथ्यात्मक , वर्णात्मक एवं साहित्यिक)

अपठित पद्यांश -भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध

इकाई- 2

हिन्दी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान , वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ ,संज्ञा-लिंग ,वचन तथा कारक, सर्वनाम,क्रिया, विशेषण, क्रिया-विशेषण ,अव्यय, तत्सम शब्द, तन्द्रव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची ,विलोम शब्द , अनेक शब्दों /वाक्यांश के लिए एक शब्द

इकाई-3

„वाक्य संरचना- वाक्य के भेद (रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर) , वाक्य विश्लेषण ,संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ , मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ , संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय,

Subject-English

The questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the Higher Secondary Level.

Unit-4

Reading: Unseen Passage-Prose/poetry (Factual, descriptive or literary) to assess comprehension, interpretation, inference and Vocabulary-Synonyms, Antonyms

Unit-5

One-word substitution, Prefix, suffix

Parts of Speech-Noun, Pronoun, Prepositions, Conjunctions, Verb, Adverbs, Adjectives, Determiners,

Articles, Degree),

Unit-6

Tense, Subject-verb agreement, Transformation of sentences-affirmative, negative, interrogative, Kinds of Sentences-Simple, Compound Sentences, Complex Sentences

गणित

इकाई-7

संख्या पद्धति: संख्या पैटर्न, मूलभूत संक्रियाओं (+, -, ×, ÷) पर आंकिक प्रश्न, समय, माप और मुद्रा पर आंकिक प्रश्न, स्थाई मान, हिन्दू-अरबी अंक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, संख्याओं की तुलना, व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएँ, रोमन संख्यांक, पूर्ण संख्याएँ, संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, गुणनखंड और गुणज, अभाज्य और भाज्य संख्याएँ, सम और विषम संख्याएँ, संख्याओं की विभाज्यता की जाँच, सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज, अभाज्य गुणनखंडन, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, परिमेय संख्याएँ, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात,

अपरिमेय संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक -नियम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।

अनुपात और समानुपात: राशियों की तुलना, अनुपात और समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात।

बीजगणित: बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड,

बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंडन, बीजीय सर्वसमिकाएँ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एलगोरियम,

रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, x-अक्ष और y-अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण,

दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलते जा सकने वाले समीकरण,

द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति।

इकाई 8

ज्यामिति एवं निर्देशांक ज्यामिति: सममिति, रेखाएँ एवं कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएँ और अप्रतिच्छेदी रेखाएँ, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएँ और तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएँ, त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज के गुण, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियाँ, एक त्रिभुज में असमिकाएँ, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय,

चतुर्भुज, चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबन्ध, मध्य-बिंदु प्रमेय, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज, वृत्त और इससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लम्ब, तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएँ और उनकी केंद्र से दूरियाँ, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, निर्देशांक ज्यामिति (द्वि-विमीय), कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल।

इकाई 9

क्षेत्रमिति: परिमाप और क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल – हीरोन के सूत्र द्वारा, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल शात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, वृतों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन, ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के एक संयोजन का आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक।

इकाई 10

सांख्यिकी एवं प्रायिकता: सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, संघर्षी बारंबारता बंटन वा आलेखीय निरूपण, प्रायिकता, प्रायिकता – एक प्रायोगिक घटिकोण, प्रायिकता – एक सैद्धांतिक घटिकोण, यादचिक परीक्षण, घटना।

त्रिकोणमिति: त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ($0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$), पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, 1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$), ऊँचाइयाँ और दूरियाँ।

MATHEMATICS

UNIT 7

NUMBER SYSTEMS: Number Pattern, Numeric problems on Fundamental operations (+, -, ×, ÷), Numeric problems on Time, Measurement and Money, Place value, Hindu – Arabic Numeral System, International System of Numeration, Comparing Numbers, Large numbers in practice, Roman numerals, Whole Numbers, The Number Line, Properties of Whole Numbers, Patterns in Whole Numbers, Factors and Multiples, Prime and Composite numbers, Even and Odd numbers, Tests for divisibility of numbers, Common factors and Common multiples, Prime factorization, Highest Common Factor, Lowest Common Multiple, Integers, Fractions, Decimals, Rational numbers, Squares and Square roots, Cube and Cube roots, Exponents and Powers, Irrational numbers, Real Numbers and their Decimal Expansions, Representing Real Numbers on the Number Line, Operations on Real Numbers, Laws of Exponents for Real Numbers, The Fundamental Theorem of Arithmetic.

RATIO AND PROPORTION: Comparing quantities, Ratio and Proportion, Direct and Indirect Proportion.

ALGEBRA: Algebraic expressions, Factorization of Algebraic expressions, Polynomials, Polynomials in One Variable, Zeros of a Polynomial, Remainder Theorem, Factorisation of Polynomials, Algebraic Identities, Geometrical Meaning of the Zeros of a Polynomial, Relationship between Zeros and Coefficients of a Polynomial, Division Algorithm for Polynomials, Linear Equations, Linear Equations in one variable, Solution of a Linear Equation, Graph of a Linear Equation in Two Variables, Equations of Lines Parallel to the x-axis and y-axis, Pair of Linear Equations in Two Variables, Graphical Method of Solution of a Pair of Linear Equations, Algebraic Methods of Solving a Pair of Linear Equations , Equations Reducible to a Pair of Linear Equations in Two Variables, Quadratic Equations, Solution of a Quadratic Equation by Factorisation, Solution of a Quadratic Equation by Completing the Square , Nature of the Roots.

UNIT 8

GEOMETRY AND COORDINATE GEOMETRY: Symmetry, Lines and Angles, Intersecting Lines and Non-intersecting Lines, Pairs of Angles, Parallel Lines and a Transversal, Lines Parallel to the Same Line, Triangles, Types of Triangles, Angle Sum Property of a Triangle,

Properties of triangles, Congruence of Triangles, Criteria for Congruence of Triangles, Inequalities in a Triangle, Similar Figures, Similarity of Triangles, Criteria for Similarity of Triangles, Areas of Similar Triangles, Pythagoras Theorem, Quadrilaterals, Angle Sum Property of a Quadrilateral, Types of Quadrilaterals, Properties of a Parallelogram, Conditions for a Quadrilateral to be a Parallelogram, Mid-point Theorem, Areas of Parallelograms and Triangles, Figures on the same Base and between the same Parallels, Parallelograms on the same Base and between the same Parallels, Triangles on the same Base and between the same Parallels, Circle and its related terms, Angle Subtended by a Chord at a Point, Perpendicular from the Centre to a Chord, Circle through Three Points, Equal Chords and Their Distances from the Centre, Angle Subtended by an Arc of a Circle, Cyclic Quadrilaterals, Tangent to a Circle, Number of Tangents from a Point on a Circle, Coordinate Geometry (Two Dimensional), Cartesian System, Plotting a Point in the Plane if its Coordinates are Given, Distance Formula, Section Formula, Area of a Triangle.

UNIT 9

MENSURATION: Perimeter and Area, Heron's Formula, Area of a Triangle – by Heron's Formula, Applications of Heron's Formula in finding Areas of Quadrilaterals, Areas Related to Circles, Perimeter and Area of a Circle, Areas of Sector and Segment of a Circle, Areas of Combinations of Plane Figures, Surface Area of a Cuboid, Surface Area of a Cube, Surface Area of a Right Circular Cylinder, Surface Area of a Right Circular Cone, Surface Area of a Sphere, Volume of a Cuboid, Volume of a Cube, Volume of a Right Circular Cylinder, Volume of a Right Circular Cone, Volume of a Sphere, Surface Area of a Combination of Solids, Volume of a Combination of Solids, Conversion of Solid from One Shape to Another, Frustum of a Cone.

UNIT 10

STATISTICS AND PROBABILITY: Statistics, Collection of Data, Data Handling, Presentation of Data, Graphical Representation of Data, Measures of Central Tendency, Mean of Grouped Data, Mode of Grouped Data, Median of Grouped Data, Graphical Representation of Cumulative Frequency,

Probability, Probability – An Experimental Approach, Probability – A Theoretical Approach, Random Experiments, Event.

TRIGONOMETRY: Trigonometry, Trigonometric Ratios, Trigonometric Ratios of Some Specific Angles ($0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$), Trigonometric Ratios of Complementary Angles, Trigonometric Identities ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$), Heights and Distances.

विज्ञान

यूनिट -11

- जैविक वर्गीकरण- पादप जगत वर्गीकरण, जंतु जगत वर्गीकरण,
- मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य
- मनुष्य में पेशीय समन्वय एवं नियंत्रण
- मनुष्य में अंतः साक्षी तंत्र- विभिन्न प्रकार की अंत स्नावी ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन व उनके कार्य
- कोशिका एवं कोशिका अंगक विभिन्न कोशिका अंगों के कार्य पादप तथा जंतु ऊतक व उसके प्रकार
- जैव अणु- कॉर्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन
- जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास, आनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं
- प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकता एवं लैंगिक संचारित रोग (STD), यौन संचारित रोगों की रोकथाम, जन्म लियन्नरण की आवश्यकता एवं विधियाँ
- पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र व इसके घटक, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जैवविविधता
- मानव स्वास्थ्य तथा रोग - रोगजनक, मानव रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी
- प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, वैक्सीन, कैंसर, एचआईवी -एड्स, किशोरावस्था की सामान्य समस्याएं, औषधि एवं अल्कोहल व्यवसन

यूनिट -12

- पुष्टीय पौधों की आकारिकी- पुष्टीय पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्टक्रम, पुष्ट, फल, बीज की संरचना
- जड़ तना, पत्ती के रूपान्तरण।
- पुष्टीय पौधों की शारीरिकी- एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री के ऊतक तंत्र की शारीरिकी एवं उनके कार्य
- एक बीज पत्री जड़ व द्विबीजपत्री जड़ की संरचना
- एक बीज पत्री तने व द्विबीजपत्री तने की संरचना, एक बीज पत्री पत्ती व द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना, द्वितीयक वृद्धि
- उच्च पादपों में प्रकाश संशालेषण- स्वपोषी पोषण, प्रकाशीय वर्णक, चक्रीय एवं अचक्रीय प्रकाश का फारफेटीकरण, प्रकाशीय श्वसन, प्रकाश संशालेषण को प्रभावित करने वाले कारक।
- पौधों में श्वसन, पादपों में परिवहन
- पादप वृद्धि एवं विकास - बीज अंकुरण, वृद्धि नियामक।
- पुष्टीय पौधों में लैंगिक प्रजनन- पुष्ट की संरचना, नर एवं मादा गोमेटोफाइट्स का विकास, परागण, द्विनिषेचन, भूषण एवं भूषणपोष का विकास, बीज एवं फल का विकास
- फसल उत्पादन एवं प्रबंध

- पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण,
- वन संरक्षण, मृदा एवं मृदा जल के प्रकार
- कचरा संग्रहण एवं निपटान की विभिन्न विधियां

यूनिट -13-रसायन

परमाणु संरचना- पदार्थों में आवेशित कण, थामसन, रदरफोर्ड एवं बोर का परमाणु मॉडल, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संयोजकता, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक एवं समभारिक, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, बोर परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, परमाणिक स्पेक्ट्रा, परमाणु का कांटम यांत्रिकी मॉडल।

यूनिट -14-रसायन

हाइड्रोकार्बन-वर्गीकरण, एल्कीन, एल्काइन- नामपद्धति तथा समावयवता, कार्बनिक यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, ऐथेनाल तथा ऐथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन: बेंजीन-नामपद्धति तथा समावयवता, भौतिक एवं रासायनिक गुण, कैंसरजन्य गुण तथा विषाक्तता, साबुन तथा अपमार्जक

यूनिट -15-भौतिकी

बल, यांत्रिकी एवं ऊर्जा-मात्रक पद्धति, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, एकसमान त्वरित गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग, संवेग संरक्षण, आवेग, स्पैतिक एवं गतिक घर्षण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज व स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण, तरलों में दाब, दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उत्पलावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप एवं ऊर्जा, ताप भाष्यन के विभिन्न पैमाने एवं उनमें आपसी सम्बन्ध, विशिष्ट ऊर्जा, चालन, संवहन, विकिरण, अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊर्जा।

यूनिट -16 भौतिकी

विद्युत, चुम्बकत्व, प्रकाश एवं ध्वनि-

विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं इनके गुण, विद्युत धारा, चालक और कुचालक, ओम का नियम, चालक का प्रतिरोध, दंड चुम्बक, चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्बकीयक्षेत्र रेखाएं एवं इनके गुण, विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव, ऑर्स्टेड के प्रयोग, एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाहीचालक पर बल, फ्लेमिंग का बाये हाथ का नियम, विद्युत मोटर(DC), विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फ्लेमिंग का दायें हाथ का नियम, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन व उसके नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तन्त्र, लैंस सूत्र, लैंस की क्षमता, ध्वनि तरंगे, अनुगूँज(echo), पराश्रव्यतारंग, पराध्वनि तरंगे।

Subject-(science)

UNIT -11

BIOLOGY

- Biological classification-Plant Kingdom Classification, Animal kingdom Classification
- Structure and functions of digestive, respiratory, excretory, circulatory, Reproductive and Nervous System of human
- Muscles control and coordination

- Human endocrine System: - Different types of Endocrines glands and their hormones and hormonal functions.
- Cell and Different cell organelles- Structure and functions of Different cell organelles, plant and animal tissues and types
- Bio-molecules- structure and function of Carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid, enzyme and vitamin
- Origin of life, biological evolution, genetics and variation
- reproductive health and need, sexually Transmitted Diseases (STD) and its prevention, birth Control and methods
- Component of Atmosphere, Ecosystem and its component , Types of pollution, Biodiversity
- Human health and pathogens, parasites Causing human diseases
- Basic concept of Immune science, vaccine, cancer, HIV, AIDS, General Problems of adolescence stage, drug and alcohol addiction

UNIT-12

BIOLOGY

- Morphology of Flowering Plants - Morphology of different parts of flowering plants- root, stem, Leaf, inflorescence, flower, fruit and seed.
- Modification of root, stem and leaf.
- Anatomy of flowering plants- Anatomy and functions of tissue systems in monocot and dicot plants.
- structure of Monocotyledonous and dicotyledonous root
- structure of Monocotyledonous and dicotyledonous stem
- Structure of Monocotyledonous and dicotyledonous leaf. And secondary growth
- Photosynthesis in higher plants - Autotrophic nutrition, photosynthetic pigments, cyclic and non-cyclic photo-phosphorylation, photorespiration, factors affecting photosynthesis.
- Respiration in plants, Transportation in plants
- Plant growth and development - Seed germination, plant growth regulators
- Sexual reproduction in flowering plants.- flower Structure, development of male and female gametophytes, pollination, double fertilization, embryo and endosperm development. development of seed and fruit.
- Crop production and management
- Conservation of plant and animals
- Forest conservation, soil and types of soil
- Different methods of garbage storage and disposal

UNIT-13

Chemistry

Atomic structure- charged particles in matter, atomic model of Thomson, Rutherford and Bohr, distribution of electrons in various shells ,valency, atomic number and atomic mass , isotopes and isobars, Bohr's model of hydrogen atom, developments leading to the Bohr's model of the atom, atomic spectra ,Quantum mechanical model of atom.

UNIT-14-Chemistry

Hydrocarbon- classification ,alkanes, alkynes and alkynes- nomenclature and isomerism, physical and chemical properties of organic compound, properties of ethanol and ethanoic acid ,aromatic hydrocarbon : benzene -nomenclature and isomerism ,physical and chemical properties ,carcinogenicity and toxicity, soaps and detergents.

UNIT-15-Physics

Force, Mechanics and Heat-

Unit System,, fundamental and derived units, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, equations of uniformly accelerated motion, laws of motion, momentum, conservation of momentum, impulse, static and kinetic friction, work, energy, power, kinetic and potential energy, law of conservation of energy, Universal law of gravitation, acceleration due to gravity, pressure in fluids, effect of gravity on pressure, buoyancy, Archimedes' principle, temperature and heat, different scales of measurement of temperature and their relationship, specific heat, conduction, convection, radiation, change of state and latent heat

UNIT-16-Physics

Electricity, Magnetism, Light and Sound-

Electric charge, Coulomb's law, electric field lines and their properties, electric current, conductors and insulators, Ohm's law, resistance of a conductor, bar magnet, magnetic field, magnetic field lines and their properties, magnetic effect of electric current, Oersted's Experiment, Force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, Fleming's left hand rule, Electric Motor(DC), Electromagnetic Induction, Fleming's Right Hand Rule, Reflection of light, Spherical mirrors, Refraction of light and its laws, Total internal reflection, Optical fiber, Lens, Lens formula, power of a lens, Sound waves, Echo, Ultrasound, supersonic wave.

सामाजिक विज्ञान

इकाई -17

- भारत- आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण

- भारत में अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियां , प्रायद्वीपीय भारत की नदियां
- भारत की जलवायु, जलवायु नियंत्रण, भारतीय मानसून का आगमन एवं वापसी, प्राकृतिक बनस्पति, चर्नों के प्रकार
- सौर मंडल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह , क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड
- ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, देशांतर और समय की गणना, पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण गतियाँ एवं ऋतुएँ
- मानचित्र- भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थेमेटिक मानचित्र, मानचित्र के घटक- मापक , दिशा, प्रतीक ,रेखाचित्र
- पृथ्वी के परिमंडल- जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल , पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण
- पृथ्वी की आंतरिक संरचना- पृथ्वी के अंतर्जनित बल एवं बहिर्जनित बल,आकस्मिक एवं पठल विस्फुटण बल
- मुख्य स्थलाकृतियां- नदी, पवन, समुद्री तरंग ,हिमानी ,भूमिगत जल द्वारा अपरदित तथा निक्षेपित स्थलरूप
- वायुमंडल का संघटन- वायुमंडल की संरचना, मौसम एवं जलवायु, वायुदाब ,पवनें प्रमुख वायुदाब पेटियां
- वर्षा के प्रकार, वर्षण के रूप, जल का वितरण, तरंगे, सुनामी, ज्वार- भाटा, महासागरीय धाराएं
- संसाधन से आशय- संसाधनों के प्रकार, संसाधन नियोजन, भू-संसाधन, भारत में भू-उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय,
- भारत में मृदाओं का वर्गीकरण,मृदा अपरदन और संरक्षण
- भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण
- कृषि के प्रकार- प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि,गहन जीविका कृषि, वाणिजियक कृषि
- भारत की मुख्य फसलें- चावल,गेहूं,बाजरा ,मक्का, चाय, कॉफी,रबड़, जूट
- खनिज पदार्थ- धात्विक और अधात्विक खनिज ,खनिजों का वितरण ,खनिज संरक्षण

इकाई -18

- इतिहास से आशय ,प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत- पुरातात्विक स्रोत,साहित्यिक स्रोत,महाकाव्य,विदेशी यात्री वृतांत,शिलालेख ,मुद्राशास्त्र ,पाषाण काल,ताम्रपाषाणिक संस्कृति

- हड्डपा संस्कृति (सिन्धु घाटी सभ्यता)
- धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारों का विकास एवं आधारभूत आध्ययन - वैदिक काल, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, सोलह महाजनपद-मगध का उत्कर्ष
- प्राचीन भारतीय राजवंश - हर्यक शिशुनाग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव
- राजपूतों का उदय- गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, राष्ट्रकूट, परमार, चौहान व मुस्लिम आक्रमण
- दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य एवं मुग़ल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष
- धार्मिक-सामाजिक आनंदोलन: भक्ति - सूफी आनंदोलन, सिख धर्म
- आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, यूरोपियनों का भारत में आगमन-(पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज), ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं भारतीय क्षेत्रों में उनके युद्ध, ब्रिटिश नीतियाँ, उनका आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा
- भारतीय पुनर्जागरण-सामाजिक-धार्मिक आनंदोलन एवं प्रमुख विचारक
- भारतीय राष्ट्रीय आनंदोलन- 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा तथा कार्यक्रम, क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ, गांधीवादी जन आंदोलन, राष्ट्रीय आनंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व
- भारत का संवैधानिक विकास एवं निर्माण-(1773-1950 ई.)
- फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र
- नाट्सीवाद, फासीवाद
- औद्योगीकरण

इकाई - 19

- राजनीतिक सिद्धांत का बोध-अर्थ, परिभाषा, महत्व
- राज्य की अवधारणा- अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत
- मूल राजनीतिक अवधारणाएँ- स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार
- लोकतंत्र और विविधता - अर्थ, विशेषताएं समानताएँ, असमानताएँ एवं विभाजन, विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव
- भारत का संविधान- गठन, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देशिका, स्त्रोत, विशेषताएँ, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया
- भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली- प्रशासनिक व्यवस्था-संघात्मक शासन, प्रशासनिक शक्तियों का केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य विभाजन, सरकार का स्वरूप-व्यवस्थापिका,

कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन- 73 वां एवं 74 वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग

- भारत में नियोजन (पंचवर्षीय योजनाएं) एवं नीति आयोग
- प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ- जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, प्रजातन्त्र की सफलता में बाधक तत्व एवं उनको दूर करने के उपाय
- भारत में निर्वाचन- निर्वाचन आयोग का गठन, कार्य, निर्वाचन प्रक्रिया, सुधार, चुनौतियां, महिलाओं की निर्वाचन में भूमिका
- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं हित समूह
- विश्व के प्रमुख संगठन- दक्षेस (सार्क), आसियान, शंघाई सहयोग संगठन, जी-20 एवं जी-8

इकाई - 20

- अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, अर्थशास्त्र के विभाग- उपभोग, उत्पादन, विनियम, वितरण एवं लोक वित्त
- उपयोगिता:-अर्थ, एवं प्रकार (सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता) एवं उनका संबंध
- उत्पादन -अर्थ एवं प्रकार (सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन एवं औसत उत्पादन), उत्पादन के साधन
- मांग एवं पूर्ति -अर्थ, नियम तथा मांग की लोच एवं पूर्ति की लोच
- लागत एवं आगम - अर्थ एवं प्रकार
- केंद्रीय प्रवृत्ति की माप - माध्य, माणिक्यका एवं बहुलक
- अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं प्रकार (पूँजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित) , अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ
- अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक - (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक)
- मुद्रा एवं बैंकिंग- वस्तु विनियम प्रणाली का अर्थ एवं कठिनाइयाँ, मुद्रा एवं मुद्रा के कार्य, बैंक का महत्व, केन्द्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक एवं उनके कार्य
- राष्ट्रीय आय-- अर्थ तथा संबंधित अवधारणाएं (सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय), राष्ट्रीय आय का भापन

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार:- - व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन का अर्थ, भुगतान संतुलन की प्रमुख मर्दें, भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता के कारण,आयात -निर्यात का आर्थिक विकास में महत्व
भारत में उदारीकरण,निजीकरण एवं दैश्वीकरण की नीति-महत्व एवं प्रभाव
नोट-प्रश्नों का निर्धारण कक्षा 12 के स्तर का रहेगा |

Social Science

Unit-17

- India Size and Location, Physical Features of India, Main Geographical Distribution,
- Drainage System in India, Rivers of Himalayas, Rivers of Peninsular India,
- Climate of India, Climate Control, Arrival and Return of Indian Monsoon, Natural Vegetation, Types of Forests,
- Solar System, Sun, Planets, Satellites, asteroid , Meteorites,
- Globe, Latitude and Longitude, Longitude and Time Calculation, Earth's Heat Zones, Rotation and Revolution motions of the Earth, and Seasons,
- Maps - Physical Map, Political Map, Thematic Map, Components of the map - Scale, direction, symbols, sketch,
- Domains of the earth - Hydrosphere, Lithosphere, Atmosphere, Biosphere, components of environment, natural environment, human environment,
- Internal structure of the earth, Endogenetic force and Exogenetic force of the earth, sudden force and Diastrophic forces,
- Major Landform - Erosional and Depositional landform by river ,wind, sea wave , glaciers ,underground water.
- Composition of Atmosphere- Structure of the Atmosphere, weather and climate, air pressure, wind, major air pressure belts,
- Types of rain fall forms of precipitation, water distribution, waves, tsunami, tides, ocean currents
- Meaning of resource- types of resources, resource planning, land resources, land use pattern in India, land degradation and measures of conservation,
- Classification of soils in India, soil erosion and conservation,

- Multipurpose river projects in India and integrated water resources management, rain water harvesting.
- Types of Agriculture – Early Subsistence Agriculture, Intensive Subsistence Agriculture, Commercial Agriculture,
- Main Crops of India – Rice, Wheat, Bajra, Maize, Tea, Coffee, Rubber, Jute
- Minerals- Metallic and Non-metallic Minerals, Distribution of Minerals, Mineral Conservation

Unit-18

- Meaning of History, Sources of Ancient Indian History – Archaeological Source, Literary Source, Epic, Foreign Traveller's Account, Inscription, Numismatics.
Paleolithic, Chalcolithic culture
- Harappan culture (Indus Valley Civilization)
- Development and basic study of religious, cultural and philosophical ideas : beginning of Vedic Era, Buddhism, Jainism, Vaishnavism, Shaivism. Sixteen Mahajanapadas, rise of magadh.
- Ancient Indian dynasties – Haryanka-Shishunaga, Maurya, , Kushan, Gupta, vardhana, Chola, Chalukya, Pallava.
- Rise of Rajputs - Gurjar Pratihara, Chandela, Rashtrakuta, Parmara, Chauhan, & Muslim invasions.
- Delhi Sultanate, Vijayanagara Empire and Mughal Empire, rise of Marathas
- Religious-Social Movements: Bhakti -Sufi Movement, Sikhism
- Sources of Modern Indian History, Arrival of Europeans in India (Portuguese, Dutch, French, British), establishment of British rule and their wars in Indian territories, British policies, their economic and administrative structure
- Indian Renaissance – socio-religious movements, and main thinkers
- Indian National Movement- Freedom Struggle of 1857, Major Tribal Revolts, Peasant Movements, Indian National Congress -Ideology and Program, Revolutionaries activities, Gandhian Mass Movement, National Movement Prominent personalities.

- Constitutional development and making of Indian constitution (1773-1950 A.D.)
- French Revolution, Unification of Germany, Unification of Italy, Socialism in Europe Russian Revolution, first World War, League of Nations, second World War, United Nations
- Nazism, Fascism
- Industrialization

Unit 19

- Understanding of Political Theory- Meaning, Definition, Importance,
- Concept of State- Meaning, Definition, Importance, Elements, Various theories of the origin of the state
- Basic Political Concepts- Liberty, Equality, Social Justice and Rights
- Democracy and Diversity -Meaning, Features Similarities, Dissimilarities and Divisions, Harmony and Conflict in Diversity
- Constitution of India- formation, process of making, preamble, sources, features, fundamental rights, fundamental duties, directive principles, constitutional amendment process
- Functioning of Indian Democracy- Administrative System- Federal Government, Division of Administrative Powers between Central and State Government, Structure of Government- Legislature, Executive, Judiciary, Local Self-Government- 73rd and 74th Constitutional Amendment, National and State Human Rights Commission
- Planning (Five Year Plans) and NITI Aayog in India
- Major challenges of democracy- population explosion, unemployment, communalism, terrorism, drug abuse, factors hindering the success of democracy and ways to remove them
- Election in India- Constitution of Election Commission, functions, election process, reforms, challenges, role of women in elections.
- National and regional political parties, Pressure Groups and Interest Groups

- Major organizations of the world - SAARC , ASEAN, Shanghai Co-operation Organization,G-20 & G-8

Unit - 20

- Economics -Meaning, Definition and Importance, Department of Economics-Consumption,Production,Exchange,Distribution & public-finance
- Utility - Meaning and Types- (Marginal Utility, Total Utility and Average Utility) and their relations
- Production- Meaning and Types (Marginal Production, Total Production and Average Production) , Means of Production.
- Demand and Supply- Meaning, Law and Elasticity of Demand and Elasticity of Supply
- Cost and Revenue - Meaning and Types
- Measures of Central Tendency -Mean, Median and Mode
- Economy -Meaning and Types of Economy (Capitalistic, Socialistic and Mixed),
Central Problems of an Economy
- Sectors of Economy - (Primary, Secondary, Tertiary)
- Money and Banking – Barter System - Meaning and its Problem, Money and it's Functions, Importance of Bank -Central Bank and Commercial bank and their Functions
- National Income -Meaning and related concepts (Gross Domestic Product (GDP), Gross National Product (GNP), Net Domestic Product (NDP), Net National Product (NNP), Per Capita Income), Measurement of National income International trade -Meaning of Balance of Trade and Balance of Payment, Items of BOP, Causes of Unfavorable BOP, Import-Export-Importance in Economic Development
- Liberalization, Privatization and Globalization (LPG) Policy in India- Importance and it's effect

Note- Determination of questions will be of class-12 level.

24

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अध्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का
प्रारूप

परीक्षा का नाम :- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा - 2025

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. लिंग (पुरुष/महिला) :-
5. जन्मतिथि :-
6. आदिम जनजाति का नाम :-
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :-
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-
9. कार्यअनुभव का विवरण :-
10. विशेष/अन्य विवरण :-
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:-
12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:-
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :-

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
फोटोग्राफ संलग्न
करे

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....

दिनांक :-

निवास का पता :-

मोबाइल/दूरभाष नं. :-